

आज दिनांक 24.09.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डा0 कौस्तुभ के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

आपरेसन एण्टी चियर्स के अन्तर्गत 160 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 19 अभियुक्त गिरफ्तार व सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर उपद्रव करने के मामले में कुल 179 लोगों के विरुद्ध की कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में जनपद संतकबीरनगर मे अवैध शराब निर्माण, बिक्री व परिवहन के संबंध में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान एण्टी चियर्स के अन्तर्गत तीनों सर्किल के क्षेत्राधिकारियों के निकट पर्यवेक्षण में समस्त थानों द्वारा कुल 160 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 19 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया व सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग करने वाले कुल 73 लोगों के विरुद्ध धारा 34 पुलिस एक्ट व 106 लोगों के विरुद्ध 290 भादवि की कार्यवाही की गयी। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त, थाना दुधारा पुलिस द्वारा 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त, महुली पुलिस द्वारा 50 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 05 अभियुक्त, थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 40 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 04 अभियुक्त, थाना बखिरा पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त, थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त व धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर संबन्धित थानों पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार

● थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3305 द्वारा दो पक्षों में मारपीट / विवाद को कराया गया शान्त व विवाद मे घायल व्यक्तियों को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 3305 को थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत मंझरिया से इवेन्ट संख्या 10160 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से 02 व्यक्तियों के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 09 मिनट में पहुंचकर मारपीट / विवाद को शांत कराकर विवाद मे घायल व्यक्तियों को जरिए एंबुलेंस से अस्पताल भेजवाया गया व घटना के संबंध मे थाना

कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर व घायलों को अस्पताल भेजवाकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचा लिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ –आ0 हरिशंकर यादव, हो0चा0 अवधेश कुमार ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 113 वाहनो से 90000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया
आज दिनांक 24.09.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 113 वाहनो से 90000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।